The Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Rules, 1990

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKHAR): Madam, on behalf of SHRI GEORGE FERNANDES I lay the Table, under Section 199 of the Railways Act, 1989, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways (Railway Board) Notification G.S.R. No. 646(E), dated the 18th July, 1990, publishing the Railway Passengers (Cancellation of Ticket and Refund of Fares) Rules, 1990. [Placed in Library. *See* No. LT-1384/90].

I. The Ministry of Urban Development (Chief Accounts Office) Recruitment Rules, 1988.

II. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Amendment Rules, 1990.

THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): Madam, I lay on the Table—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Urban Development Notification G.S.R. No. 1023, dated the 31st December, 1988, publishing the Ministry of Urban Development (Chief Accounts Officer) Recruitment Rules, 1988, under section 58 of the Delhi Development Authority Act 1957.

(ii) Corrigendum (in English and Hindi) to Notification G.S.R. No. 1023, dated the 31st December, 1988.

[Placed in Library. *See* No. LT-1386/90 for (i) and (ii)].

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Urban Development Notification G.S.R. No. 245, dated the 21st April, 1990, publishing the Urban Land (Ceiling and Regulation) Amendment Rules, 1990, under Sub-Section (3) of Section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

[Placed in Library, *See* No. LT-1385/900].

Report and Accounts (1986-87) of the Punjab Film and News Corporation Limited, Chandigarh and related papers

SHRI JAGDEEP DHANKHAR: Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

(i) Fourteenth Annual Report and Accounts of the Punjab Film and News Corporation Limited, Chandigarh, for the year 1986-87, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned above.

[Placed in Library. *See* No. LT-1500/90 for (i) and (ii)].

I. Reports (1984-85 and 1985-86) of the Minorities Commission and related papers.

II. Report and Accounts (1987-88) of the National Labour Institute, New Delhi.

III. Notification of the Ministry of Labour and related papers.

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

I. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(i) 1984-85 के वर्ष के लिए अल्पसंख्यक आयोग का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन, प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पण सहित । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. 1394/90]

(ii) 1985-86 के वर्ष के लिए अल्पसंख्यक आयोग का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन, प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पण सहित । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1395/90]

II. 1987-88 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

(i) और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) संस्थान के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों

[श्री राम विलास पासवान]

को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । (i) से (iii) के लिए देखिए सं. एल. टी. 1426/90]

III. (i) शिक्षुता नियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अधीन शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1988 को प्रकाशित करने वाली, श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 827, दिनांक 4 नवम्बर, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए सं. एल. टी. 1391/90]

(ii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उप-धारा (4) के अधीन चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 249, दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1388/90]

(iii) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली, श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 250, दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1387/90]

(iv) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 251 दिनांक 21 अप्रैल, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1390/90]

(v) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 282 दिनांक 5 मई, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिए सं. एल. टी. 1389/90]

Notification of the Ministry of Textiles

SHRI JAGDEEP DHANKHAR : Madam, On behalf of SHRI SHARAD YADAV : I lay on the Table :—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification S.O. No. 672(E), dated the 31st August, 1990, publishing that the commodities specified in column (2) of the Schedule annexed thereto shall be packed in jute packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule w.e.f. 1st September, 1990, in supersession of S.O. 630(E), dated the 30th June, 1988, under sub-section (2) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act 1987.

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification S.O. No. 673(E), dated the 31st August, 1990, exempting certain cement plants from the operation of the order made under section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987, under sub-section (2) of section 16 of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. LT-1428/90 for I & II].

Notifications of the Ministry of Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN) : Madam, I lay on the Table a copy each